न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी आर मीना ,आर ए एस
अपील संख्या– आरटीए / 87 / 2022

उनवान

1. महबूब पुत्र श्री मिश्री जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी– कानिया तहसील समक्ष हुरडा हुरड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

.....अपीलार्थी

बनाम

1. मिश्री पुत्र श्री रहमान शाह जाति सांई मुसलमान निवासी– कानिया तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) मृतक के बजाय कायम मुकाम–
   1/1 समसुदीन पुत्र स्व० श्री मिश्री जाति साई मुसलमान आयु वयस्क निवासी–कानिया तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
   1/2 खाजू पुत्र स्व० श्री मिश्री जाति सांई मुसलमान आयु वयस्क निवासी–कानिया तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. श्यामा पुत्र श्री बाबू मुसलमान आयु वयस्क निवासी– कानिया तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. रज्जाक पुत्र श्री ईस्माईल मुसलमान आयु वयस्क निवासी कानिया तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. अल्लादीन पुत्र श्री इब्राहिम मुसलमान आयु वयस्क निवासी– कानिया तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. बाबू पुत्र श्री रहमान शाह मुसलमान आयु वयस्क निवासी कानिया तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. ईस्माईल पुत्र श्री रहमान शाह मुसलमान आयु वयस्क निवासी कानिया तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा (राज०)
7. इब्राहिम पुत्र श्री रहमान शाह मुसलमान आयु वयस्क निवासी– कानिया तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. श्रीमती हुरमल पुत्री स्व० श्री मिश्री पत्नी श्री हमीद खां मुसलमान आयु वयस्क निवासी– कानिया तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. जमीना बानू पुत्री स्व० श्री मिश्री पत्नी श्री रफीक मोहम्मद मुसलमान आयु वयस्क निवासी– कानिया तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
10. सेहनाज पुत्री स्व० श्री मिश्री पत्नी श्री शरीफ मोहम्मद मुसलमान आयु वयस्क निवासी– कानिया तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

7. आराजी जैर बहस में वादी व प्रतिवादी सं. 5, 6, व 7 का 1ध्4 हिस्से से हक खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी हैं।

8. प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 4 इस गलत इन्द्राज के आधार पर आराजी जैर बहस खसरा नम्बर 292 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम रूद्रपुरा को बैजा व गलत प्रविष्ठी के आधार पर खुर्द बुर्द व बैचान करने पर आमादा है। व मौके पर लडाई झगडा कर वादी के साथ मारपीट करने पर उतारू रहते हैं जिसे स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादी सं. 1 से 4 को पाबन्द किया जाना नितान्त आवश्यक है। बिनाय मुखास्मत वाद दिनांक 27.11.2012 से पैदा हुई व हो रही है।

9. नामान्तरणकरण विरासत कार्यवाही बिना जांच किये गलत व अवैध रूप से प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 4 जो कि रहमान शाह के पौत्र होते हुए भी रहमान शाह के जीवित पुत्र मिश्री, बाबू, इस्माईल व इब्राहिम क्रमशः वादी व प्रतिवादी सं. 5, 6, व 7 के नाम से खातेदारी कार्यवाही होनी चाहिये थी ऐसा न कर प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 4 के नाम खाता कार्यवाही की गई व प्राथमिक रूप से गलत होकर अवैधानिक एवं नियमों से परे है।

10. प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 4 जो कि रहमान शाह के पुत्र नहीं होकर रिश्ते में पौत्र हैं व इनके पिता भी अलग अलग होते हुए भी रहमान शाह के पुत्र बनकर विरासत से अपने नाम खाता खुलवा कर पंचायत व तहसील को गलत तथ्य बताकर नामान्तरणकरण कार्यवाही से आराजी जैर बहस अपने नाम करवा ली है इसके लिए भी न्यायिक दण्डात्मक कार्यवाही प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 4 के विरूद्ध की जाना न्यायसंगत हैं इस कार्यवाही से वादी को मानसिक तनाव व दबाब झेलना पड़ रहा है जिसके लिए भी प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 4 के विरुद्ध श्रीमान् न्यायालय जो उचित समझे आर्थिक दण्ड भी इनके विरुद्ध लगाया जावे ।

11. आराजी जैर बहस के वादी व प्रतिवादी सं. 5 से लगायत 7. 1/4 हिस्से से हक खातेदारी घोषणा करवाई जाकर आराजी जैर बहस ग्राम रूद्रपुरा खसरा नं. 292 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा को 1/4 हिस्से से वादी एवं प्रतिवादी सं. 5. 6. व 7 के मध्य भूमि विभाजन के आदेश प्रदान किये जाकर विभाजन प्रस्ताव तहसील से मंगवाए जाने के आदेश भी प्रदान किये जायें एवं तदानुसार राजस्व रिकार्ड में भी इन्द्राज शुद्ध किये जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 से लगायत 7 के नाम 1/4 हिस्से से भूमि अलग–अलग हिस्से से विभाजन के साथ राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज कराई जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

12. अतः निवेदन है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर (क) वाके ग्राम रूद्रपुरा तहसील हुरड़ा के आराजी नम्बर 292 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा के 1/4 हिस्से से वादी व प्रतिवादी सं. 5 से लगायत 7 हक घोषणा खातेदारी अधिकार आदेश प्रदान किये जावें ।
(ख) कि आराजी जैर बहस राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी सं. 5 से लगायत 7 के नाम से 1/4 हिस्से से इन्द्राज दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराई जावे ।
(ग) आराजी जैर बहस को वादी व प्रतिवादी सं. 5 से लगायत 7 के मध्य 1ध्4 हिस्से से भूमि विभाजन कर वादी व प्रतिवादी सं. 5, 6, 7 के नाम से अलग अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराई जावे ।
(घ) बहक वादी व खिलाफ प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 4 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश भी प्रदान किये जावें कि वह वादी व प्रतिवादी सं. 5, 6, 7 के कब्जेकाश्त की आराजी में मौके पर लड़ाई झगडा नहीं करें व न ही करावें ।

13. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण राजीनामे के आधार पर निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 25.5.2018 को पारित की गई जिससे व्यथित होकर यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

14. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

15. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के नियुक्त अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जब भी मामले मे जरूरत पडेगी सूचित करके बुला लिया जायेगा व बार बार सम्पर्क करने पर मामला चलने की बात कही गयी व इसके पश्चात कोविड–19 के कारण कोर्ट बंद होने व जब भी जरूरत होने पर बुला लेने की बात कही गयी, लेकिन अधिवक्ता द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी। दिनांक 04.05.2022 को रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलार्थी को मौके से बेदखल करने की कोशिश की गयी व अपीलार्थी का नाम खाते मे नही होने व दावा जीत जाने की बात बतायी व भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी, इस पर अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया, इस पर अन्य अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रकरण की जानकारी हेतु नकल आवेदनपत्र दिनांक 05.05.2022 को पेश किया व नकल दिनांक 07.05.2022 को प्राप्त हुई, तब उक्त निर्णय/डिकी की प्रथम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

बार जानकारी हुई व जानकारी होते ही यह अपील अविलम्ब अन्दर अवधि पेश हे। लेकिन निर्णय ६ डिकी की दिनांक से उक्त अपील पेश करने मे हुई देरी के समय को कण्डौन फरमाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

16. अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है एवं अपीलार्थीगण ने जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत नहीं की है।

17. अतः निवेदन है कि अपीलार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय/डिकी की दिनांक से अपील पेश करने में हुई देरी के समय को कण्डौन किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जावें।

18. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 25.5.2018 विधि एवं तथ्य के विपरीत होने से विधि मे पोषणीय नहीं होकर खारिज योग्य है।

19. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मामले में दिनांक 25.5.2018 को राजस्व लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण किया गया , बल्कि लोक अदालत में दोनों पक्षों के राजी होने पर राजीनामा पेश होने पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जाता है, मामले मे दोनो पक्षो की तरफ से राजीनामा प्रार्थनापत्र पेश नही किया गया है। फिर भी लोक अदालत मे प्रकरण का निस्तारण किया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रतिपादित निर्णय स्टेट ऑफ पंजाब बनाम जालोर सिंह मे पक्षकार की सहमति के बिना लोक अदालत मे निस्तारण शून्य माना है व अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलार्थी को सुने व अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना उक्त आदेश पारित की हे, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा जिस नामान्तरणकरण को चौलेज किया गया, उस समय अपीलार्थी नाबालिग था व नामान्तरणकरण संख्या 74 दिनांक 21.09.1977 को प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के नाम पर खुला, उस समय जो कार्यवाही की गयी, वह अपीलार्थी के पिता वादी एवं उनके भाईयो सभी ने मिलकर की गयी है, जिसकी वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को शुरू से ही जानकारी है, उक्त भूमि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पर अपीलार्थी का ही 05 बीघा पर कब्जा है व लाखो रूपये खर्च कर काबिल काश्त बनाया है व पाईप लाईन दबाकर 2 लाख रूपये खर्च कर रखे है व चारो तरफ मिट्टी का डोहल डालकर थोहर की बाड़ कर रखी है, जिसमे करीब 4 लाख रूपये खर्च हुए है व फाटक भी लगा रखी है। उक्त नामान्तरणकरण के 35 साल बाद उक्त दावा पेश किया गया है, जो बैरून मियाद होते हुए भी उक्त निर्णयधडिकी पारित की है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

21. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा नामान्तरणकरण को वादपत्र मे चौलेज किया गया है, जबकि उक्त नामान्तरणकरण की अपील पेश नही की गयी है व साथ ग्राम पंचायत को मामले में पक्षकार बनाया गया है, कानूनन ग्राम पंचायत के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व 02 माह की समयावधि का विधिक नोटिस दिया जाना आज्ञापक प्रावधान है, जिसकी पालना किये बिना वादपत्र विधि मे पोषणीय नही होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णयधडिकी कानून का बाला ए ताक रखकर पारित की है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

22. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मामला दिनांक 17.07.2018 को साक्ष्य में प्रकरण नियत था, मामले मे बिना साक्ष्य पेश किये व बिना अपीलार्थी को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये, कानूनी प्रक्रिया को फोलो किये बिना, मनमकसूद तरीके से विधि से परे जाकर उक्त निर्णय ध डिकी पारित की है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। इस कारण से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिकी विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

23. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादी रेस्पोडेन्ट के कायम मुकाम बनाये गये, जिसमे भी अपीलार्थी को वादी का वारीस बताया गया व वादपत्र डिकी किया गया, वैसे तो उक्त निर्णयधडिकी प्रथम दृष्टया ही साक्ष्य से मोतहाज व विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है, फिर भी अपीलार्थी भी वादी का जायन्दा पुत्र होने से उसका विधिवत हक हिस्सा बनता है, फिर भी अपीलार्थी का नाम विलोपित करने व अपीलार्थी के नाम पर भूमि दर्ज नही कराने का निर्णय/डिकी पारित की है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

24. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का घौषणात्मक वाद है, जिसमे वादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की व बिना साक्ष्य के घौषणा के वाद को डिकी किया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

25. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानून को बाला ए ताक रखकर विधिक प्रक्रिया को अपनाये बिना ही बिना साक्ष्य के उक्त प्रकरण का निस्तारण किया है, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

अतः निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 25.05.2018 को अपास्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान पारित किया जावे।

26. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया एवं कथन किया कि अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह युक्तियुक्त नहीं है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने की स्थिति में प्रत्येक दिवस की विलम्ब अवधि का स्पष्ट और युक्तियुक्त कारण अंकित किया जाना आवश्यक होता है। अपीलार्थीण द्वारा बताये गये कारण उचित एवं पर्याप्त नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज करते हुए अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

27. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि जवाब दावे में दावे के समस्त तथ्यों को स्वीकार कर रखा है। प्रकरण में दादा ने अपने पौत्रों के सीधा विरासत की कार्यवाही की गई है। पिता के जीते जी किसी नेविरोध नहीं किया । अधीनस्थ न्याालय ने प्रकरण का विधिवत परीक्षण कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो उचित है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया। अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के नियुक्त अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जब भी मामले मे जरूरत पडेगी सूचित करके बुला लिया जायेगा व बार बार सम्पर्क करने पर मामला चलने की बात कही गयी व इसके पश्चात कोविड–19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

के कारण कोर्ट बंद होने व जब भी जरूरत होने पर बुला लेने की बात कही गयी, लेकिन अधिवक्ता द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी। दिनांक 04.05.2022 को रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलार्थी को मौके से बेदखल करने की कोशिश की गयी व अपीलार्थी का नाम खाते मे नही होने व दावा जीत जाने की बात बतायी व भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी, इस पर अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया, इस पर अन्य अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रकरण की जानकारी हेतु नकल आवेदनपत्र दिनांक 05.05.2022 को पेश किया व नकल दिनांक 07. 05.2022 को प्राप्त हुई, तब उक्त निर्णय/डिकी की प्रथम बार जानकारी हुई व जानकारी होते ही यह अपील अविलम्ब अन्दर अवधि पेश हे। लेकिन निर्णय ६ डिकी की दिनांक से उक्त अपील पेश करने मे हुई देरी के समय को कण्डौन फरमाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

29. अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है एवं अपीलार्थीगण ने जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत नहीं की है।

30. अतः निवेदन है कि अपीलार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय/डिकी की दिनांक से अपील पेश करने में हुई देरी के समय को कण्डौन किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जावें।

31. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता ने रिबटल में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है उसका खण्डन होता हो। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है। अतः न्यायहित में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

32. पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन, अवलोकन, किया गया । बहस का मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन मिलान किया गया । रेकार्ड अनुसार प्रकरण शहादत वादी में विचाराधीन था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य नहीं ली जाकर कोर्ट कैम्प में बिना सहमति के निर्णय पारित कर दिया । जबकि दावा घोषणा का था , जिसका निर्धारण वादी व प्रतिवादी के साक्ष्य पर गुणावगुण पर होना था। न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया काा पालन नहीं किया गया है। जिससे पक्षकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रहे है व न ही निर्णय तनकीवार किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.5.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारों को विधिवत सुनकर प्रकरण में तनकी कायम कर वादी व प्रतिवादी को साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विस्तृत विवेचन के साथ विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

33. आदेश आज दिनांक 4.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनायागया।

(पी आर मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा